

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 810
25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण

810. श्री सु. थिरुनवुककरासर:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्मित सार्वजनिक परिवहन बसों सहित देश में ई-वाहन विनिर्माण की वृद्धि का वर्षवार/वाहन-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या देश ई-वाहनों के उत्पादन और संवर्धन के लिए कच्चे माल, खनिज प्रसंस्करण, बैटरी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका घरेलू उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;
- (घ) क्या सरकार ने देश में इसके उत्पादन को बढ़ाने और चीनी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)**

(क) : भारी उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन बसों सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण के आंकड़े नहीं रखता। हालांकि, ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (2020 से 2022) के दौरान देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
1.	2020	1,23,092
2.	2021	3,27,976
3.	2022	10,15,196
	कुल	14,66,264

(ख) से (ड): जी हाँ। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए मूल कच्चा माल लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री है; इसलिए वर्तमान में, भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण और समग्र मूल्यवर्धन में निवेश नगण्य है और एसीसी की लगभग पूरी घरेलू मांग अभी भी आयात के माध्यम से पूरी की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित एसीसी बैटरी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदित किया। 5 वर्षों की अवधि के लिए इस स्कीम का कुल परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने (50 गीगावाट घंटा) की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम में प्रति किलोवाट घंटा पर लागू सब्सिडी तथा उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाले विनिर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन-आधारित सब्सिडी का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक परिवहन बसों सहित देश में ई-वाहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया):** सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को शुरुआत में कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया। इस स्कीम को 2 अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।
